

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

Annexure A

Br. No. 4542

Dated 1 जून 2010

Government of
Himachal Pradesh

संख्या SJ&E-F(5)-4/2006

दिनांक: 6 जुलाई, 2010

अधिसूचना

राजस्वाल, हिमाचल प्रदेश एतद द्वारा गरीबी ऐसा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के सदरेश से “वालिका समृद्धि योजना” के स्थान पर “बेटी है अनमोल योजना” परिषिष्ठ “क” पर दर्शाये गये उद्देश्य, नियम, दिशा निर्देश व शर्तों के आधार पर सहीष स्वीकृति प्रदान करती है।

यह दिशा निर्देश उक्त अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होगे।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: SJ&E-F(5)-4/2006 दिनांक शिमला-2 5 जुलाई, 2010

- समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
- प्रधान निजि सचिव मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- वरिष्ठ निजि सचिव, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि.प्र., शिमला-5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु।
- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9। उनसे अनुरोध है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से राजपत्र की पांच प्रतियां प्राप्त करने की कृपा करें।
- अनुभाग अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अनुभाग-ख।
- सरकारी नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां।

अदरै सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार

परिशिष्ट- क

बेटी है अनमोल

योजना की विशेषता:-

बेटी है अनमोल योजना पूर्णतः प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अपने संसाधनों से पोषित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। यह योजना एतद बारे जारी आधिसूचना की तिथि से लागू होगी। योजना के उद्देश्य, नियम, दिशा निर्देश व शर्तों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. योजना का उद्देश्य:

- परिवार तथा समुदाय में बेटी के जन्म पर बेटी एवं माता के प्रति नकारात्मक वृद्धिकोण में बदलाव लाना।
- बेटी के बाल विवाह पर रोक।
- बेटी के स्कूल में दाखिले एवं शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहन।
- लड़कियों को आय जननशील कियाकलाप अपनाने हेतु सहायता।
- लड़कियों को सशक्त एवं व्यात्मनिर्भर बनाना।

2. योजना की व्यापित (कार्यसेवा):

बेटी है अनमोल योजना प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी।

3. लक्षित समूह:

बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को लाभान्वित किया जाना है।

4. योजना का प्रारूप:

बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसार कर रहे हों ऐसे परिवारों में योजना के लागू होने के पश्चात जन्मी केवल दो बेटियों को लाभान्वित किया जायेगा। अनमोल बेटी योजना के अन्तर्गत लाभ/सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को कमांड 5 पर दी गई शर्त पूर्ण करनी होगी।

5. लाभ प्राप्त करने हेतु शर्तें:-

- पान्त्र बेटी का परिवार हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो।
- प्रार्थी का परिवार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सूचि में दिनहित होना चाहिए।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले लाभान्वित बेटी का विवाह नहीं होना चाहिए।

Pledge) करवाया जाएगा । बेटी को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इस खाते को पूरी राशि व्याज सहित बालिका को भवा की जाएगी । लेकिन यदि बालिका की

अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही शादी हो जाती है तो ससके खाते की राशि खत: सरकार को प्राप्त हुई राशि समझी जाएगी । सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी ऐसे बैंक खातों में जमा करवाई गई राशि को व्याज सहित भाहरित करेगा/करेगी तथा इस राशि का प्रयोग जन्य पात्र बालिका को भाभानित करने डेतू किया जाएगा ।

iii) बालिका की मृत्यु होने पर ससके नाम पर खोले गए खाते की राशि भी खत: सरकार को प्राप्त हुई राशि समझी जाएगी ।

iv) छात्रवृति हेतु प्रोत्साहन राशि पात्र बालिका को ससके अभिभावकों के लिखित अनुरोध के अनुसार नकद भी दी जा सकेगी तथा यदि वे चाहें तो यह राशि भी ससके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी ।

5. छात्रवृति प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया:

छात्रवृति प्राप्त करने हेतु बालिका के पाठशाला में दाखिल होने के बाद बालिका के अभिभावक साथे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें सम्बन्धित पाठशाला के मुख्याध्यापक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि कुमारी पुनर्नी श्रीमती/श्री निवासी को

इस पाठशाला (पाठशाला का नाम/पता) में कक्षा में दिनांक को प्रदेश दिया गया तथा यह बालिका इस कक्षा में पहले अनुत्तीर्ण नहीं हुई है ।

छात्रवृति स्वीकृत करने हेतु प्रपत्र (अनुबच 'ख') पर संलग्न है ।

6. स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी

सम्बन्धित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत पात्र बालिका के पास में योजना के प्रावधानानुसार पोस्ट वर्ड ग्रान्ट तथा छात्रवृति स्वीकृत करने हेतु सक्षम होगा ।

7. इस योजना के लागू होने के पश्चात, पूर्व में विभाग द्वारा कार्यान्वयन की जा रही बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत लाभान्वित की जा रही बालिकाएं जो केवल 10 वीं कक्षा तक ही छात्रवृति हेतु पात्र हैं वे भी "बेटी है अनमोल" योजना के अन्तर्गत कक्षा ग्राहकी व बारहवीं में नई दर से मु 1500/- रु 0 वार्षिक छात्रवृति के लिए पात्र होंगी ।

8. "बेटी है अनमोल" योजना के लागू होने के पश्चात पूर्व में विभाग द्वारा कार्यान्वयन की जा रही बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत कोई भी नई स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत आवेदन प्रपत्र

बाल विकास परियोजना अधिकारी,

बाल विकास परियोजना—

जिला ————— डिंग ५०

महोदय/महोवया,

निवेदन है कि मेरे परिवार में दिनांक ————— को पहली/ दूसरी बालिका का जन्म हुआ है। मैं हिंग ५० का स्थाई निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती ————— है। मेरा परिवार गरीबो रेखा में विनिःहत परिवारों की सूचि में है तथा इसका BPI. NO. ————— है। अतः निवेदन है कि मेरी बेटी को हिंग ५० संरक्षण द्वारा चलाई जा रही बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लाभ प्रदान करें।

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

- a) बेटी के पिता / माता का नाम
- b) बेटी का नाम
- c) बेटी के जन्म की तिथि
- d) परिवार में बेटी की संख्या/कम (पहला/दूसरा)

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदक द्वारा दर्शाए गये तथ्य सही हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती..... BPI. को अन्तर्गत चयनित है तथा सूचि में क. स० ————— पर प्रवर्णित है।

BPI. NO ————— है।

3. इनके परिवार में दिनांक ————— को पहली/ दूसरी/ बेटी पैदा हुई है। परिवार रजिस्टर में बेटी का नाम ————— तथा बेटी के माता/ पिता का नाम ————— है।

हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत —————

विकास खण्ड —————

तहसील —————

जिला —————

स्वात्रवृति स्वीकृत करने हेतु सक्षम आधिकारी का स्वीकृति बारे प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भव्योहस्ताक्षरी सारे तथ्यों से सन्तुष्ट होने के उपरान्त कुमारी _____ पुनी
श्रीमती/ श्री _____ निवासी _____ के पक्ष में मु० का द्वारा स्वात्रवृति की
स्वीकृति प्रदान करता / करती है। यह राशि कुमारी _____ के नाम में बैंक / डाकघर _____ में
जमा करवाई जाएगी / कुमारी को नकद जमा की जाएगी। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कुमारी _____
को कभी में घोषणा के दम्य यह राशि पहले अदा / स्वीकृत नहीं की गई है।
इसका पूर्ण आभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है तथा एतद सम्बन्ध सभी लैजर कार्यालय में जांच
हेतु सुरक्षित है।

(सुहर तथा हस्ताक्षर)
बाल विकास परियोजना आधिकारी,
बाल विकास परियोजना _____
जिला _____

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग

संख्या: Kalyan-Cha(4)-2/90-IV

18

दिनांक: 02 जून, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से "बेटी है अनमोल योजना" के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सम संख्या दिनांक 05.07.2010 के परिशिष्ठ "क" की मद संख्या 6(1) में आंशिक संशोधन करते हुए, इस योजना के तहत जमा करवाई जाने वाली राशि मु० 5100/- ₹ से बढ़ाकर, ₹ 10,000/- करने की स्वीकृति प्रदान करती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होंगी।

आदेश द्वारा

सरोज कुमार दास
अतिरिक्त मुख्य सचिव
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या : Kalyan-Cha(4)-2/90-IV दिनांक: शिमला-02 02 जून, 2012

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजि सचिव मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजि सचिव, माननीय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्री, हि० प्र०।
6. नियंत्रक, मुद्रण एंव लंखन सामग्री, विभाग हि० प्र० शिमला 5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु।
7. निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला 9।
8. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हि० प्र० राजकार शिमला-02
9. संरक्षण नस्ति / अतिरिक्त प्रतियाँ।

Uttam Ray
उप सचिव (सा० न्याय एंव अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्या: एस0जे0ई0-एफ-(5)-4 / 2006-1

दिनांक: २५ सितम्बर, २०१७



अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश “बेटी है अनमोल योजना” के अन्तर्गत जारी अधिसूचना समं संघर्षक दिनांक 05.07.2010 तथा दिनांक 23.07.2015 के क्रम को जारी रखते हुए इस योजना के परिशिष्ठ ‘क’ की मद संख्या 6(ii) में आंशिक संशोधन करते हुए इस योजना के तहत पात्र बेटी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली विद्यालय स्तर की छात्रवृत्ति को स्नातक स्तर तक अनुबन्ध “क” के अनुसार बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

आदेश द्वारा

आरोड़ी धीमान
प्रधान सचिव (सां न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त

दिनांक: शिमला-02

२५ सितम्बर, २०१७

- समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02.
- समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
- प्रधान निजी सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
- वरिष्ठ निजी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।
- नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
- निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार।
- संरक्षण नरिति/अतिरिक्त प्रतियां।

छवि - नान्टा

(छवि नान्टा)
उप सचिव (सां न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार

अनुबन्ध “क”

क्रमांक	कक्षा	छात्रवृति की दरें (रुपये प्रति वर्ष)
1.	प्रथम से तृतीय	450/-
2.	चतुर्थ	750/-
3.	पांचवीं	900/-
4.	छठी एवं सातवीं	1050/-
5.	आठवीं	1200/-
6.	नौवीं एवं दसवीं	1500/-
7.	ग्यारहवीं एवं बारहवीं	2250/-
8.	कला स्नातक (B.A), वाणिज्य स्नातक (B.Com), विज्ञान स्नातक (B.Sc) इत्यादि।	5000/- (उक्त छात्रवृति की दर स्नातक स्तर की प्रथम से अंतिम वर्ष की कक्षाओं में दी जाएगी। यदि पात्र लड़की स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष की किसी कक्षा में अनुर्तीर्ण रहती है, तो उसी कक्षा के लिए उसे दूसरी बार उक्त छात्रवृति की दर प्रदान नहीं की जायेगी)
9.	इंजीनियर स्नातक (B.E), प्रौद्योगिकी स्नातक (B.Tech.), आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक (MBBS), विधि स्नातक (LLB), शिक्षा स्नातक (B.Ed) इत्यादि।	5000/- (उक्त छात्रवृति की दर स्नातक स्तर की प्रथम से अंतिम वर्ष की कक्षाओं में दी जाएगी। यदि पात्र लड़की स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष की किसी कक्षा में अनुर्तीर्ण रहती है, तो उसी कक्षा के लिए उसे दूसरी बार उक्त छात्रवृति की दर प्रदान नहीं की जायेगी)

छवि नान्टा

(छवि नान्टा)

उप सचिव (साठ न्याय एवं अधिकार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

— १४९ —

**हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

संख्या: एस०जे०ई०-एफ-(५)-४/२००६-१

दिनांक: १९ मई, २०१८

अधिसूचना

५६०५
२३/५/१८

इस विभाग की अधिसूचना संख्या कल्याण-छ-(५)-२/९०-IV दिनांक ०२.०६.२०१२ के कम को जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से “बेटी है अनमोल योजना” के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस०जे०ई०-एफ-(५)-४/२००६ दिनांक ०५-०७-२०१० के परिशिष्ट-क, की मद संख्या ६ (१) में अंशिक संशोधन करते हुए, इस योजना के तहत जमा करवाई जाने वाली राशि मु० 10,000/- रु० (दस हजार) से बढ़ाकर मु० 12,000/- (बारह हजार) करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

२. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अनौपचारिक पत्र संख्या फिन (सी) वी (१५)-३/२०१६ लूज दिनांक १७.५.२०१८ के अनुसरण में जारी की जाती है।

३. यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

आदेश द्वारा
हस्ता /—

(निशा सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा० न्याय एवं अधि०)

हिमाचल प्रदेश सरकार

१९ मई, २०१८

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त दिनांक: शिमला-०२

१. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-०२.
२. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
३. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
४. प्रधान निजि सचिव मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
५. वरिष्ठ निजि सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।
६. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश।
७. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश।
८. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हि० प्र०।
९. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश।
१०. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां।

N
Nunil

(टी० आर० परमार॑)

अवर सचिव (सा० न्याय एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार